

जरिये ई-मेल
कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी (राजस्थान)

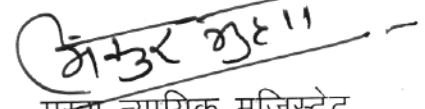
क्रमांक : स्था./2026/41

दिनांक : 02.07.2026

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक: स्था0/2026/35 दिनांक 27.05.2026 के अनुसार दिनांक 11.07.2026 एवं 12.07.2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु श्री आशीष कुमार परेवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बून्दी तथा दिनांक 25.07.2026 एवं 26.07.2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु सुश्री नूपुर गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, बून्दी की ड्यूटी लगाई गई थी।

प्रशासनिक कारणों से उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 11.07.2026 एवं 12.07.2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड, प्रोटोकॉल एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादित करने हेतु सुश्री नूपुर गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-2, बून्दी तथा दिनांक 25.07.2026 एवं 26.07.2026 के राजपत्रित अवकाश के दौरान उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु श्री आशीष कुमार परेवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, बून्दी की ड्यूटी लगाई जाती है। शेष रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेश पूर्ववत् प्रभावी रहेगा।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बून्दी (राजस्थान)

क्रमांक : सामान्य/2026/1347-1353

दिनांक : 2/7/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- (1) श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी.
- (2) जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी आरक्षी केन्द्रों के थानाधिकारियों को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (3) संबंधित पीठासीन अधिकारी.....
- (4) जिला आबकारी अधिकारी, बून्दी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक, प्रहराधिकारी, भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को जे.सी./पी.सी. रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिये उपर्युक्त तिथियों में नियत समयावधि में पहुँचना सुनिश्चित करें।
- (5) पुलिस कंट्रोल रूम/ए.डी.पी. ऑफिस बून्दी
- (6) उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बून्दी
- (7) अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बून्दी.
- (8) सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, बून्दी को प्रतिलिपि भेजकर लेख है कि वह इस मैसेज को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बून्दी (राजस्थान)